



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय

कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश-272202

SIDDHARTH UNIVERSITY

Kapilvastu, Siddharth Nagar, U.P. 272202

E-Mail Id: registrar@suksn.edu.in, Mobile Number: 6388907621, www.suksn.edu.in



पत्रांक १७५९ / सा०प्र० / सि०वि०वि० / २०२४

दिनांक 12/11/2024

सेवा में,

1. अधिष्ठाता— कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय।
2. प्राचार्य— राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।

विषय— भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त संचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1219 / सत्तर-4-2024-70-4002(001) / 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए इसके सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तदक्रम में आप सभी से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के अर्ह छात्रों से <https://pminternship.mca.gov.in/login/> पर पंजीकरण कराये जाने का कष्ट करें, जिससे अर्ह छात्रों का अधिक से अधिक पंजीकरण हो सके। अर्ह छात्रों को नियमानुसार प्रतिमाह ₹0 4500 का स्टाइपेन्ड / मानेदय भी देय है।

सलग्नक— दिशा-निर्देश।

भवदीय

१२.११.२४

कुलसंचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
८८-सिद्धार्थनगर।

एफ. सं.- सीएसआर/13/35/2024

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(पीएमआईएस सेल)

5^{वाँ} तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली-110 001

दिनांक: 03.10.2024

कार्यालय जापन

विषय: “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट (वित्तीय वर्ष 2024-25)” के
लिए दिशानिर्देश।

बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पांच साल में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 12 महीने तक विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल का अनुभव मिलेगा।

2. इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत में, जिसमें कई हितधारक और कौशल विकास की नवीन अवधारणाएँ शामिल हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ योजना की एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है। इस पायलट परियोजना के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्षों के सीएसआर व्यय के औसत के आधार पर की गई है। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। इन कंपनियों की सूची पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

3. इस योजना के प्रयोजन के लिए इंटर्नशिप को इंटर्न और कंपनी के बीच एक व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें कंपनी इंटर्न को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के वातावरण में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है, और बदले में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है।

4. कार्यक्षेत्र: यह योजना कौशल विकास, प्रशिक्षित और छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सभी मौजूदा योजनाओं से अलग है, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही हैं, और ऐसी सभी केंद्रीय/राज्य योजनाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित होगी।

5. पायलट परियोजना की मुख्य विशेषताएं

5.1 इंटर्नशिप की अवधि: इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने होगी। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में बिताना होगा, न कि कक्षा में।

5.2 उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड

5.2.1 आयु: 21 से 24 वर्ष (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक) के बीच की आयु के युवा, भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित, जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं और पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं लगे हुए हैं। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

5.2.2 शैक्षिक योग्यता: जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, हाईर सेकेंडरी स्कूल पास कियो है, जिनके पास आईटीआई से प्रमाण प्राप्त है, किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है, या जिनके लास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा आदि डिग्री हैं, वे पात्र हैं।

5.2.3 अयोग्यता मानदंड : निम्नलिखित व्यक्ति भाग लेने के लिए अयोग्य हैं:

- (i) आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, आईआईएसईआर, एनआईडी और आईआईआईटी से स्नातक।
- (ii) जिनके पास सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, कोई भी मास्टर या उच्च डिग्री जैसी योग्यताएं हों।
- (iii) वे लोग जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किसी कौशल, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप या छाव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हों।
- (iv) जिन्होंने किसी भी समय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के तहत प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।
- (v) यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8 लाख रुपये से अधिक है।
- (vi) यदि परिवार का कोई सदस्य स्थायी/नियमित सरकारी कर्मचारी है।

बोट: पायलट परियोजना के प्रयोजनों के लिए:

- (i) "परिवार" का अर्थ है स्वयं, माता-पिता और जीवनसाथी।
- (ii) "सरकार" का तात्पर्य केन्द्र एवं राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्र एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक संगठन, स्थानीय निकाय आदि से है।
- (iii) "कर्मचारी" से तात्पर्य नियमित/स्थायी कर्मचारी से है, परंतु इसमें संविदा कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

5.3 कंपनियों (भागीदार कंपनियों) के भाग लेने के लिए मानदंड

5.3.1 मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान की है। इनके अतिरिक्त, कोई भी अन्य कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान जो इस योजना में भाग लेने की इच्छुक है, वह कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की मंजूरी

से ऐसा कर सकती है, जो उपर्युक्त 500 कंपनियों में कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और क्षेत्रों से ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा।

5.3.2 यदि साझेदार कंपनी अपनी कंपनी में सीधे तौर पर ऐसे इंटर्नशिप अवसर प्रदान नहीं कर सकती है, तो वह निम्नलिखित के साथ गठजोड़ कर सकती है:

- इसकी अग्रिम और पश्चवर्ती आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियां (जैसे आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/विक्रेता), या;
- इसके समूह की अन्य कम्पनियां/संस्थाएं; या अन्यथा।

5.4 सहायता और लाभ: यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना है। योजना के तहत सहायता, वित्तीय लाभ और वित्तपोषण पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है:

5.4.1 इंटर्न को मासिक सहायता: इंटर्नशिप के पूरे 12 महीनों की अवधि के लिए इंटर्न को 5,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। इसमें से, हर महीने कंपनी, उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर कंपनी के सीएसआर फंड से प्रत्येक इंटर्न को 500 रुपये जारी करेगी। एक बार कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, सरकार इंटर्न के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उम्मीदवार को 4,500 रुपये का भुगतान करेगी। यदि कोई कंपनी 500 रुपये से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है, तो वह अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है।

5.4.2 आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान: इंटर्नशिप स्थान पर इंटर्न के कार्यभार ग्रहण करने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकार द्वारा प्रत्येक इंटर्न को आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान वितरित किया जाएगा।

5.4.3 प्रशिक्षण लागत : योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित व्यय, मौजूदा नियमों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने सीएसआर फंड से वहन किया जाएगा।

5.4.4 प्रशासनिक लागत: कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत, इस योजना के तहत किए गए सीएसआर व्यय का 5% तक कंपनी द्वारा प्रशासनिक लागत के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

5.4.5 बीमा कवरेज़: भारत सरकार की बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत इंटर्न को बीमा कवरेज़ प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, कंपनी इंटर्न को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है।

5.5 कार्यान्वयन तंत्र

5.5.1 इस योजना को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल (www.pminternship.mca.gov.in) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। यह पोर्टल योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन और इंटर्नशिप जीवनचक्र प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा।

5.5.2 इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करने की प्रक्रिया: इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करने के लिए पोर्टल पर प्रत्येक ध्यानीदार कंपनी को एक समर्पित डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप के अवसरों में दी जाने वाली इंटर्नशिप का विवरण शामिल होगा, जैसे इंटर्नशिप का स्थान, इंटर्नशिप की प्रकृति, आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सुविधा आदि।

5.5.3 उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण/आवेदन प्रक्रिया: योग्य उम्मीदवारों को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा। उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पोर्टल द्वारा एक बायोडाटा तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों को पसंदीदा क्षेत्रों, कार्यात्मक भूमिकाओं, स्थानों और अन्य मानदंडों के लिए ब्राउज़िंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार तब स्थान (राज्य, जिला), क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता सहित अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर पाँच (5) इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5.5.4 शॉर्टलिस्टिंग और चयन: पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए उम्मीदवारों का एक समूह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं और कंपनियों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित होगी। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में, कम रोजगार क्षमता को प्राथमिकता देने वाले और आवेदक आधार में व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले मानदंडों पर विचार किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का उद्देश्य इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। उपरोक्त सुनिश्चित करने के लिए, पोर्टल आबादी के सभी वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का उपयोग करेगा। प्रत्येक इंटर्नशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर, उम्मीदवारों के रिज्यूमे के साथ लगभग दोगुने/तीन गुने नाम चयन के लिए कंपनी को भेजे जाएंगे। कंपनियां अपने संबंधित चयन मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने और इंटर्नशिप ऑफर देने में सक्षम होंगी। एक बार कंपनी द्वारा उम्मीदवार को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद, उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति व्यक्त करने में सक्षम होगा। पायलट परियोजना के लिए विस्तृत कार्यान्वयन तंत्र अनुलग्नक-1 में दिया गया है। यह तंत्र इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5.5.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप की पेशकश से मंत्रालय या संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संविदात्मक या कानूनी संबंध नहीं बनेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप की ऐसी पेशकश को संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या उसके बाद भविष्य में रोजगार देने के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

5.5.6 परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश: पोर्टल के माध्यम से पायलट परियोजना में भाग लेने वाली कंपनियों और युवाओं के लिए विस्तृत परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.6 सर्वोत्तम प्रथाओं की मान्यता : मंत्रालय प्रशिक्षुओं, कंपनियों को उनके असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

5.7 शिकायत निवारण तंत्रः हितधारकों की चिंताओं और समस्याओं को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके और उपयोगकर्ताओं की समग्र संतुष्टि बढ़ाई जा सके। शिकायत निवारण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

- i) **इंटर्नशिप पोर्टल** : इंटर्न, कंपनियां आदि सहित सभी हितधारक पोर्टल से जुड़े चैटबॉट सहित क्वेरी निवारण टूल के माध्यम से अपने प्रश्न या शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। इन उपकरणों की परिकल्पना प्रश्नों के आसान पंजीकरण, वास्तविक समय ट्रैकिंग और समाधान की स्थिति पर अपडेट की सुविधा के लिए की गई है।
- ii) **समर्पित कॉल सेंटर** : हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों/प्रश्नों के समाधान के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा।

6. प्रशासनिक और निगरानी ढांचा

6.1 योजना के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और अन्य पहलुओं की देखरेख के लिए एक निगरानी और संचालन समिति (एमएससी) होगी। एसएससी में एमसीए, अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एमएससी को पायलट प्रोजेक्ट के दिशा-निर्देशों, पात्रता, चयन मानदंड, संचार और आउटरीच रणनीति, निगरानी, मूल्यांकन आदि में किसी भी संशोधन सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, सिफारिशों करने का अधिकार होगा। मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, समीक्षा और समन्वय के लिए कोई अन्य समिति(याँ) भी गठित कर सकता है।

6.2 समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण (एमईएल) ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई), आवधिक डाटा रिपोर्ट और प्रदर्शन स्कोरकार्ड को दर्शाने वाले डैशबोर्ड का उपयोग सभी मोर्चों पर शुरू से अंत तक कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा। स्वतंत्र मूल्यांकन के साथ-साथ आवधिक मूल्यांकन/मूल्यांकन अध्ययन भी किए जाएंगे।

7. संचार, जागरूकता और क्षमता निर्माणः योजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए संचार, वकालत और क्षमता निर्माण पहल की जाएगी, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसके लाभों को उजागर किया जा सके। उम्मीदवारों और उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए पोर्टल पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, उपयोगकर्ता मैनुअल, निर्देशात्मक वीडियो और सूचनात्मक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

8. राज्य सरकारों के साथ समन्वय : आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों/पीआरआई/यूएलबी के साथ समन्वय किया जाएगा।

9. पायलट प्रोजेक्ट से सीखः योजना की मात्रा और जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पायलट प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण चरण है जो पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले अवधारणाओं, रणनीतियों और प्रणालियों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक और परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय द्वारा सीखे गए सबक एकत्र किए जाएंगे। बजट 2024-25 में घोषित पीएम इंटर्नशिप योजना के पहले चरण को लागू करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

10. यह माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

-sd-

(अनुराधा ठाकुर)
अपर सचिव

सेवा में,

1. कारपोरेट कार्य महानिदेशक, कारपोरेट के मंत्रालय
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक एवं
3. सभी कम्पनी रजिस्ट्रार।

प्रतिलिपि:

1. वित्त सचिव एवं सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग
2. सचिव, समन्वय, कैबिनेट सचिवालय
3. सचिव, आर्थिक मामले विभाग
4. सचिव, व्यय विभाग
5. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
6. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
8. सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
9. सचिव, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
10. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
11. सभी राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस योजना के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध।
12. श्री सौरभ शुक्ला, निदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय
13. माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव
14. माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव
15. कैबिनेट सचिव के प्रधान निजी सचिव

16. मुख्य लेखा नियंत्रक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

17. गार्ड फ़ाइल

कार्यान्वयन तंत्र

www.pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध पोर्टल विकसित करेगा। यह पोर्टल एंड-टू-एंड योजना कार्यान्वयन और इंटर्नशिप जीवनचक्र प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा।

2. पोर्टल और अन्य कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का व्यापक अवलोकन नीचे दिया गया है:

2.1 साझेदार कम्पनियों की सूची : साझेदार कम्पनियों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

2.2 इंटर्नशिप के अवसर : इंटर्नशिप के अवसर पार्टनर कंपनियों द्वारा पोर्टल पर पोस्ट किए जा सकते हैं। इंटर्नशिप के अवसरों में इंटर्नशिप का विवरण शामिल होगा, जैसे इंटर्नशिप का स्थान, इंटर्नशिप की भूमिका/कार्य, आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अन्य विशेष आवश्यकता, कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई सुविधा आदि।

2.3 उम्मीदवार पंजीकरण और प्रोफ़ाइल निर्माण : उम्मीदवारों को पहले आधार प्रमाणीकरण या ईकेवाईसी के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, प्रमाणपत्र (यदि कोई हो) जैसी जानकारी और अन्य प्रासंगिक विवरण उम्मीदवारों द्वारा पोर्टल पर निर्दिष्ट अनुसार प्रदान किए जाने चाहिए। शैक्षिक योग्यता और प्रमाणपत्रों का प्रमाण उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को पोर्टल पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और कोई भी अयोग्यता मानदंड लागू नहीं होता है। प्रस्तुत विवरण के आधार पर, उम्मीदवार के लिए पोर्टल द्वारा एक रिज्यूम तैयार किया जाएगा।

2.4 उम्मीदवार आवेदन : उम्मीदवारों द्वारा आधार प्रमाणीकरण के बाद, उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा क्षेत्रों, कार्यात्मक भूमिकाओं, स्थानों और अन्य मानदंडों के आधार पर

इंटर्नशिप अवसरों के माध्यम से ब्राउज़ करने के लिए एक ब्राउज़िंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार तब स्थान (राज्य, जिला), क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता सहित अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर पाँच (5) इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2.5 उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग : पोर्टल द्वारा प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए उम्मीदवारों का एक समूह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रत्येक इंटर्नशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर, कंपनी को भेजे जाने वाले आवेदनों की संख्या से लगभग दोगुने/तीनगुने आवेदन शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में, कम रोजगार क्षमता को प्राथमिकता देने वाले और आवेदक आधार में व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले मानदंडों पर विचार किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का उद्देश्य इंटर्नशिप करने वाले मानदंडों पर विचार किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का उद्देश्य इंटर्नशिप करने के लिए, पोर्टल आबादी के सभी वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का उपयोग करेगा।

2.6 इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को चयन के लिए प्रत्येक कंपनी को भेजा जाएगा।

2.7 उम्मीदवारों का चयन : शॉर्टलिस्ट किए गए समूह से, कंपनियाँ अपने संबंधित चयन मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने में सक्षम होंगी। कंपनी द्वारा पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवारों को इंटर्नशिप ऑफर भेजे जाएँगे। एक बार कंपनी द्वारा उम्मीदवार को ऑफर भेजे जाने के बाद, उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से कंपनी द्वारा उम्मीदवार को ऑफर भेजे जाने के बाद, उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति व्यक्त करने में सक्षम होगा। एक उम्मीदवार को एक चक्र में दो (2) इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं। कंपनियों के उपयोग के लिए पोर्टल पर ऑफर लेटर का एक मॉडल प्रारूप उपलब्ध होगा।

2.8 इंटर्नशिप दस्तावेज़ तैयार करना : उम्मीदवार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, पोर्टल स्वचालित रूप से एक इंटर्नशिप दस्तावेज़ तैयार करेगा जिसमें इंटर्नशिप का

विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया होगा, जिसमें इंटर्न और कंपनी दोनों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ शामिल होंगी। इंटर्नशिप दस्तावेज़ का एक मॉडल प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

2.9 **इंटर्नशिप जॉड्निंग :** एक बार जब उम्मीदवार इंटर्नशिप जॉड्न कर लेता है, तो कंपनी पोर्टल पर इसकी पुष्टि करेगी। इस पुष्टि से आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान के रूप में ₹6,000 की राशि जारी की जाएगी, जिसे सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उम्मीदवार को वितरित करेगी।

2.10 **इंटर्नशिप :** हर महीने कंपनी ₹500 का भुगतान करेगी और इस भुगतान की रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करेगी। इस पुष्टि के बाद, सरकार द्वारा ₹4,500 जारी किए जाएंगे, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से उम्मीदवार को वितरित किए जाएंगे।

2.11 **समापन और प्रमाणन :** इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा करने पर, भागीदार कंपनी द्वारा उम्मीदवार को समापन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र का एक मॉडल प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध होगा। प्रमाण पत्र केवल भाग लेने वाली भागीदार कंपनियों द्वारा जारी किया जाएगा।

3. कंपनियों के लिए दिशानिर्देश

3.1 **कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति को उस कौशल पर वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करे जिसमें कंपनी सीधे तौर पर शामिल है। यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य/वास्तविक जीवन के व्यावसायिक माहौल में हो, न कि कक्षा में।**

3.2 **यदि कंपनी सीधे तौर पर इंटर्नशिप के अवसर प्रदान नहीं कर सकती है, तो वह निम्नलिखित के साथ गठजोड़ कर सकती है:**

- इसकी अग्रिम और पश्चवर्ती आपूर्ति शृंखला में शामिल कंपनियाँ (जैसे आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/विक्रेता) या
- इसके समूह की अन्य कंपनियाँ/संस्थाएं; या अन्यथा।

3.3 कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे इंटर्नशिप के लिए आवश्यक योग्यता से अधिक योग्यता निर्धारित न करें।

3.4 कंपनियों को अकुशल भूमिकाओं जैसे सफाई, डिलीवरी, कुली, सुरक्षा गार्ड, ऑफिस बॉय आदि के लिए इंटर्नशिप की पेशकश नहीं करनी चाहिए।

3.5 कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत दी जाने वाली इंटर्नशिप किसी अन्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली अन्य कौशल/प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम से अलग हो।

3.6 प्रत्येक इंटर्न को जॉड़न करने पर कंपनियों द्वारा पर्यवेक्षक या सलाहकार नियुक्त किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को प्रत्येक इंटर्न के सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को प्रदान करने या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3.7 भाग लेने वाली साझेदार कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इंटर्नशिप प्रबंधन कार्यक्रम और अपनी कंपनी तथा अपनी अग्रिम व पश्चवर्ती आपूर्ति शृंखला (जैसे आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/विक्रेता) या अपने समूह की अन्य कंपनियों/संस्थाओं में प्रस्तावित विभिन्न इंटर्नशिप अवसरों का संचालन करें।

3.8 कंपनियों को समय-समय पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रणाली का पालन करना होगा। उम्मीदवारों की तिमाही मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

3.9 यदि कोई इंटर्न इंटर्नशिप पूरी होने से पहले ही वापस ले लेता है या छोड़ देता है, तो कंपनी को इंटर्न को 'ड्रॉपआउट' के रूप में चिह्नित करके पोर्टल के माध्यम से सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार द्वारा उम्मीदवार को कोई और भुगतान नहीं किया जाएगा। उपस्थिति, आचार संहिता और ड्रॉपआउट के संबंध में कंपनी की मानक नीतियों को लागू किया जाएगा। आम तौर पर, एक इंटर्न को ड्रॉपआउट माना जाएगा यदि वे अचानक और अपने मेंटर/सुपरवाइजर को सूचित किए बिना अपनी इंटर्नशिप आवश्यकताओं को पूरा करना बंद कर देते हैं और मेंटर या सुपरवाइजर द्वारा उचित अवधि में दो बार संवाद करने के प्रयासों के बावजूद जवाब देने और/या फिर से शामिल होने में विफल रहते हैं, या यदि वे जारी रखने की अनिच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को फिर से शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उन्हें कोई इंटर्नशिप प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वे इस योजना के तहत एक वर्ष के लिए किसी भी इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने से अयोग्य हो जाएंगे।

3.10 यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप की पेशकश से मंत्रालय या संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संविदात्मक या कानूनी संबंध नहीं बनेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप की ऐसी पेशकश को संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या उसके बाद भविष्य में रोजगार देने के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

4. अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

4.1 संस्थान के नियम और विनियम, जिनमें समय, अवकाश, छुट्टी, आचरण और अनुशासन से संबंधित नियम शामिल हैं, का प्रशिक्षु द्वारा पालन किया जाएगा।

4.2 चिकित्सा आपातकाल, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या ऐसी ही आपातकालीन परिस्थितियों में, कंपनी की नीतियों और/या मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश के अनुसार, प्रशिक्षु को दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है। अवकाश अवधि के दौरान कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी; हालाँकि, प्रशिक्षु को

फिर से शामिल होने और समग्र 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि की शेष अवधि को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। यदि अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो जाती है, तो उम्मीदवार को इसे बंद करना होगा और अगले इंटर्नशिप प्रस्ताव चक्र में फिर से आवेदन करना होगा।

5. **निष्पादन की मान्यता :** इंटर्न को कंपनियों की नीतियों के अनुसार कंपनियों द्वारा उनके प्रदर्शन और आचरण का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। योजना के लिए आत्मविश्वास और आकांक्षात्मक मूल्य बनाने के लिए, कंपनियों को उत्कृष्ट इंटर्न को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और यह मान्यता कंपनियों की वेबसाइटों और इस पोर्टल पर प्रदर्शित की जा सकती है।

ई-मेल/महत्वपूर्ण

संख्या-1219/सत्तर-4-2024-70-4002(001)/2024

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक नवम्बर, 2024

विषय:-भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के पत्र दिनांक 08.11.2024 के साथ संलग्न सचिव, कारपौरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी0एम0आई0एस0-01/10/2024, दिनांक 30.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए इसके सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना का लक्ष्य आगामी 05 वर्षों में 01 करोड़ युवाओं को भारत की 500 कम्पनियों में इंटर्नशिप प्रदान करना है।

2- अतः उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.11.2024 एवं 30.10.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार द्वारा संचालित प्रश्नगत योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों संबंधित सूचनाएं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा एवं राज्य/निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचनाएं अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा संकलित करते हुए शासन को उपलब्ध कराई जाएंगी।

संलग्नक यथोक्त

Signed by

भवदीय,

Prem Kumar Pandey

(प्रेम कुमार पाण्डेय)

Date: 12-11-2024 16:14:20

संयुक्त सचिव।

कांडा २०२४ / सत्र-३-२०२४

1730997/2024

वी०सी० दिनांक ०९.११.२०२४ अपराह्न ०४.०० बजे

No. १०६७७.VIP/HE/CD/PP/CO/2024

प्रेषक,

धर्मपाल पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/ विकितसा शिक्षा विभाग/दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ३०प्र० शासन।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, ३०प्र०, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उच्चशीलता अनुभाग लखनऊ दिनांक: ०८ नवम्बर, २०२४

विषय: भारत सरकार की "प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना" के क्रियान्वयन हेतु विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उच्चशीलता विभाग ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक ०९.११.२०२४ को अपराह्न ०४:०० बजे आयोजित वीडियो कानफ्रेसिंग की बैठक के संबंध

*धृष्टि**महोदय*

उपर्युक्त विषयक सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शा० पत्र संख्या- पी०एम०आई०एस०-०१/१०/२०२४ दिनांक ३०.१०.२०२४ (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो "प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार के उक्त पत्र में प्रश्नगत योजना संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश एवं पात्रता/ शैक्षिक योग्यता का भी उल्लेख किया है।

(आर० पी० छौथी) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित की गयी "प्रधानमंत्री इंटर्नशिप निजी सचिव, प्रमुख सचिव योजना" के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किये जाने हेतु श्री अमिषेक सिंह,

उच्च शिक्षा, नागरिकतारकी, स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उच्चशीलता विभाग, ३०प्र० शासन की राजनीतिक दैशन एवं राजनीतिक विधिय, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उच्चशीलता विभाग, ३०प्र० शासन की उत्तर प्रदेश शासनाध्यक्षता में दिनांक ०९.११.२०२४ को अपराह्न ०४.०० बजे वीडियो कानफ्रेसिंग के माध्यम से

प५११/८५५५/बैठक आहूत की गयी है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का लिदेश हुआ है कि उक्तानुसार आहूत वी०सी० में शासन संतर/विभागाध्यक्ष संतर/ संबंधित विश्वविद्यालय के भिज अधिकारियों को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। बैठक हेतु तिंक एवं पासवर्ड निम्नवत् है:-

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/81370976677?pwd=j6djhXOC25GjDF6jxoRqt5Ebonx4Vn.1>

छिपा यात्र्य
निजी सचिव,
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

धृष्टि
५०-५ (H2)
०७/११/२०२४

Meeting ID: 81370976677

Passcode: 614499

संलग्नकः यथोक्त।

Signed by

भवदीय,

Dharm Pal Pandey

(धर्मपाल पाण्डेय)

Date: 08-11-2024 17:11:34

अनु सचिव।

अंख्या एवं दिनांक नदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, ३०प्र० शासन।
- संयुक्त सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, ३०प्र० शासन।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(धर्मपाल पाण्डेय)

अनुसचिव।

L - 3085778/24

No. 35416 /MIS/SECY/GI/2024

दीप्ति गौड़ मुकर्जी, आईएएस
सचिव

Deepti Gaur Mukerjee, IAS
Secretary



भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली
Government of India
Ministry of Corporate Affairs
New Delhi

संखा ४४३ प्राप्ति/वारिकोषि/ग्राहि/२०२४

पुस्तक प्राप्ति/प्राप्ति/प्राप्ति

D.O.No. PMIS-01/10/2024

30th October, 2024

vs (voc Edt)

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
दिल्ली सचिव एवं स्टाफ आफत्तर
मुख्य सचिव,
चंगां घासन।

1. I would like to draw your attention to the Prime Minister's Internship Scheme which was announced in the Budget 2024-25. The scheme aims to provide internship opportunities to one crore youth in the top 500 companies in five years. Through this Scheme, youth will gain exposure for 12 months to real life business environment, across varied professions and employment opportunities.

2. As an initiation of this ambitious Scheme, a pilot project targeted at providing 1.25 lakh internship opportunities for the financial year 2024-25 has been launched on 3rd October, 2024. The feedback received and the evaluation of outcomes during the implementation of the pilot project would be factored in while rolling out the full-fledged PM Internship Scheme. A copy of the guidelines issued on 3rd October, 2024 which were also addressed to you with a request to nominate a nodal officer for scheme implementation, is enclosed for your kind reference. This scheme is envisaged as a central sector scheme and would be in addition to other similar schemes, if any, being implemented in your State.

3. Youth eligible under the scheme are those who are between 21-24 years of age and are not in full time employment or education. Further, no member of their family should be a government employee or have an income of more than 8 lakh in the financial year 2023-24. Under the scheme, every intern will receive a monthly allowance of Rs. 5000 (out of which Rs. 4500 is to be paid by the Ministry of Corporate Affairs, and Rs. 500 by the company from its CSR funds) as monthly allowance, along with Rs. 6000 as a one-time grant for incidentals, to be paid by the Government. The training cost is to be borne by the Company, from its CSR funds. Further, insurance coverage shall be provided to each individual intern under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, for which premium amount shall be provided by the Central Government.

4. The pilot project is being implemented through an online portal www.pminternship.mca.gov.in. Companies have offered about 1.27 lakh internship opportunities covering 25 sectors, 36 States/ UTs and 745 districts. The internship opportunities have been offered for youth who have passed High school (about 31,500), Higher Secondary (8,826), ITI certificate holders (about 30,448), Diploma holders (about 21,222) and Graduates (about 35,050). At present the process of registration and applications for internship is going on. Youth are able to explore the opportunities available, and apply for the offers as per their preferences and skills. At the national level, more than 2 lakh internship applications have been received so far. The number of internship opportunities offered by the top companies in your state are about 8506. The details of the opportunities offered in your state are attached.

5. This scheme is an excellent opportunity for youth living in various districts of your state to gain exposure to business environment of top companies, enhance their technical and behavioural skills thereby improving their employability. I would request you to nominate a nodal Department for this scheme, as the opportunities offered are across all levels of education and requires a coordinated approach at the state level. We would collaborate with the above Department and seek their valuable support in implementing the scheme. We look forward to working with you so that the youth of your State are able to avail the unique opportunity offered by the Prime Minister's Internship Scheme – Pilot Project.

With regards,

Yours Sincerely,

(Deepti Gaur Mukerjee)

Encl: As above.

Shri Manoj Kumar Singh
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
Lal Bahadur Shastri Bhawan
Lucknow - 226 001

District wise Internship Opportunity offered in UTTAR PRADESH in PM Internship Scheme- Pilot Project		
Sl. No	District/ Qualification	Number of Internship Opportunities
1	Agra	274
	10th	107
	12th	50
	Diploma	10
	Graduation	77
	ITI	30
2	Allgarh	131
	10th	54
	12th	4
	Diploma	17
	Graduation	26
	ITI	40
3	Ambedkar Nagar	137
	10th	11
	Diploma	52
	Graduation	37
	ITI	57
	Amethi	125
4	10th	10
	Diploma	15
	Graduation	9
	ITI	91
	Amroha	16
	10th	10
5	Graduation	2
	ITI	4
	Auraiya	209
	10th	68
	12th	56
	Diploma	14
6	Graduation	49
	ITI	22
	Ayodhya	50
	10th	11
	Diploma	3
	Graduation	15
7	ITI	21
	Azamgarh	25
	10th	16
	Graduation	7
	ITI	2
	Baghpat	27

	10th	10
	Diploma	2
	Graduation	11
	ITI	4
10	Bahraich	18
	10th	12
	Graduation	4
	ITI	2
11	Ballia	32
	10th	9
	12th	2
	Diploma	6
	Graduation	4
	ITI	11
12	Balrampur	43
	10th	9
	12th	1
	Graduation	5
	ITI	28
13	Banda	45
	10th	12
	Diploma	6
	Graduation	7
	ITI	11
14	Bara Banki	86
	10th	12
	12th	1
	Diploma	15
	Graduation	5
	ITI	53
15	Bareilly	189
	10th	78
	12th	18
	Diploma	13
	Graduation	56
	ITI	24
16	Basti	35
	10th	12
	Graduation	21
	ITI	2
17	Bhadohi	10
	10th	8
	ITI	2
18	Bijnor	55

	10th	20
	12th	1
	Graduation	15
	ITI	19
19	Budaun	24
	10th	14
	Graduation	8
	ITI	2
20	Bulandshahr	53
	10th	15
	12th	3
	Diploma	6
	Graduation	10
	ITI	19
21	Chandauli	14
	10th	9
	12th	2
	Graduation	1
	ITI	2
22	Chitrakoot	14
	10th	11
	Diploma	1
	Graduation	2
23	Deoria	19
	10th	14
	12th	1
	Graduation	2
	ITI	2
24	Etah	33
	10th	18
	Diploma	1
	Graduation	6
	ITI	8
25	Etawah	46
	10th	9
	Diploma	6
	Graduation	4
	ITI	27
26	Farrukhabad	19
	10th	16
	Graduation	1
	ITI	2
27	Fatehpur	39
	10th	11

	Graduation	7
	ITI	13
36	Hardoi	84
	10th	13
	Diploma	8
	Graduation	31
	ITI	32
37	Hathras	52
	10th	26
	Diploma	7
	Graduation	11
	ITI	18
38	Jalaun	25
	10th	10
	Diploma	3
	Graduation	2
	ITI	10
39	Jaunpur	21
	10th	17
	12th	1
	Graduation	1
	ITI	2
40	Jhansi	42
	10th	32
	12th	1
	Diploma	3
	Graduation	2
	ITI	4
41	Kannauj	21
	10th	14
	Graduation	2
	ITI	5
42	Kanpur Dehat	82
	10th	19
	12th	8
	Diploma	26
	Graduation	20
	ITI	15
43	Kanpur Nager	357
	10th	150
	12th	29
	Diploma	36
	Graduation	103
	ITI	39

44	Kasganj	11
	10th	7
	Graduation	1
	ITI	3
45	Kaushambi	41
	10th	8
	Graduation	28
	ITI	5
46	Kheri	59
	10th	15
	Diploma	2
	Graduation	12
	ITI	30
47	Kushinagar	16
	10th	13
	ITI	3
48	Lalitpur	14
	10th	11
	ITI	3
49	Lucknow	1082
	10th	348
	12th	52
	Diploma	91
	Graduation	497
	ITI	84
50	Mahoba	10
	10th	8
	Graduation	1
	ITI	1
51	Mahrajganj	18
	10th	11
	12th	1
	Graduation	6
52	Malinpuri	36
	10th	14
	Diploma	5
	Graduation	4
	ITI	13
53	Mathura	74
	10th	60
	12th	2
	Graduation	1
	ITI	11
54	Mau	14

	10th	11
	ITI	3
55	Meerut	143
	10th	95
	12th	5
	Diploma	7
	Graduation	20
	ITI	16
56	Mirzapur	15
	10th	13
	ITI	2
57	Moradabad	116
	10th	57
	12th	10
	Diploma	7
	Graduation	12
	ITI	23
58	Muzaffarnagar	91
	10th	26
	Diploma	16
	Graduation	32
	ITI	17
59	Pilibhit	32
	10th	30
	ITI	2
60	Pratapgarh	37
	10th	11
	Graduation	14
	ITI	12
61	Prayagraj	223
	10th	76
	12th	12
	Diploma	40
	Graduation	29
	ITI	66
62	Rae Bareli	157
	10th	14
	Diploma	39
	Graduation	33
	ITI	71
63	Rampur	30
	10th	9
	Diploma	3
	Graduation	1

	M	17
64	Saharanpur	50
	10th	15
	Diploma	2
	Graduation	10
	ITI	23
65	Sambhal	23
	10th	9
	12th	2
	Diploma	2
	Graduation	2
	ITI	8
66	Sant Kabir Nagar	8
	10th	8
67	Shahjahanpur	43
	10th	15
	12th	12
	Diploma	3
	Graduation	5
	ITI	8
68	Shamli	16
	10th	0
	Diploma	1
	Graduation	2
	ITI	4
69	Shrawasti	8
	10th	8
70	Siddharthnagar	9
	10th	9
71	Sitapur	62
	10th	16
	12th	1
	Diploma	5
	Graduation	12
	M	28
72	Sonbhadra	645
	10th	21
	12th	15
	Diploma	139
	Graduation	16
	M	454
73	Sultanpur	19
	10th	11
	12th	4

	Graduation	1
	III	3
74	Unnao	19
	10th	10
	Graduation	5
	III	4
75	Varanasi	265
	10th	126
	12th	41
	Diploma	4
	Graduation	82
	III	12
	Total Internship opportunity in the State	8506

F. NO- CSR/ 13/35/2024
Government of India
Ministry of Corporate Affairs
(PMIS Cell)

5th Floor, 'A' Wing, Shashi Bhawan,
Dr. Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110 001.

Dated: 03.10.2024

Office Memorandum

Subject: Guidelines for "Prime Minister's Internship Scheme - Pilot Project (Financial Year 2024-25)"

The Prime Minister's Internship Scheme in Top Companies has been announced in the Budget 2024-25 (Scheme). It aims to provide internship opportunities to one crore youth in top 500 companies in five years. Through this Scheme, youth will gain exposure for 12 months to real-life business environment, across varied professions and employment opportunities.

2. As an initiation of this ambitious Scheme which involves multiple stakeholders and innovative concepts of skilling, a Pilot Project of the Scheme targeted at providing 1.25 lakh internship opportunities is being launched for the Financial Year (FY) 2024-25. The top companies for this Pilot Project have been identified on the basis of the average of GSR expenditure of the last three years. Participation of the companies in this Scheme is voluntary. A list of these companies would be uploaded on the PM Internship Scheme Portal.

3. Internship, for the purpose of this Scheme is envisaged as an arrangement between the intern and the company in which the company provides an opportunity to the intern to get training, gain experience and skills within the real-life environment of the business organization that helps in bridging the gap between academic learning and industry requirements, in turn, assisting enhancement of her/his employability.

4. Scope: The Scheme is separate from all the existing schemes related to skill development, apprenticeships, internship and student training programmes, etc. being implemented across all the States & UTs of India, and will run independently of all such Central/State schemes.

S. Salient Features of the Pilot Project

5.1 Internship Duration: Duration of the Internship shall be 12 months. At least half of the Internship period must be spent in the actual working experience/job environment, and not in the classroom.

5.2 Eligibility criteria for candidates

5.2.1 Age: Youth aged between 21 and 24 (as on the last date for submission of application), belonging to Indian nationality, who are not employed full-time and not engaged in full-time education. Candidates enrolled in online/ distance learning programmes are eligible to apply.

5.2.2 Educational Qualifications: Candidates who have passed High School, Higher Secondary Schooling, possess a certificate from an ITI or diploma from an Polytechnic Institute, or are graduates with degrees such as BA, B.Sc, B.Com, BCA, BBA, B.Pharma, etc. are eligible.

5.2.3 Ineligibility criteria: The following persons are ineligible to participate:

- (i) Graduates from IITs, IIMs, National Law Universities, IISER, NIDs, and IIITs.
- (ii) Those having qualifications such as CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, any master's or higher degree.
- (iii) Those undergoing any skill, apprenticeship, internship or student training programme under Central Government or State Government schemes.
- (iv) Those who have completed apprenticeship, training under National Apprenticeship Training Scheme (NATS) or National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) at any point.
- (v) If the income of any of the family members of the candidate exceeds Rs 8 lakh for FY 2023-24.
- (vi) If any member of the family is a permanent/regular government employee.

Note: For the purposes of the Pilot Project:

- (i) "Family" means self, parents and spouse.
- (ii) "Government" means Central and State Governments, UT administration, Central and State PSUs, statutory organizations, local bodies etc.
- (iii) "Employee" means regular/ permanent employees but does not include contractual employees.

5.3 Criteria for the companies (Partner Companies) to participate

5.3.1 The top 500 companies have been identified by the Ministry on the basis of their average CSR expenditure of the last three years. Apart from these, any other company/ bank/ financial institution desirous of participating in the Scheme, may do so with the approval of the Ministry of Corporate Affairs (MCA), which would take a view keeping in view under-represented sectors and areas in the above mentioned 500 companies.

5.3.2 In case the Partner Company cannot directly provide such internship opportunities in its own company, it may tie-up with:

- Companies in its forward and backward supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors), or

- Other Companies/Institutions in its Group; or otherwise.

5.4 Support and Benefits: This is a Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme. Details of the support, financial benefits and funding pattern under the Scheme are given below:

5.4.1 Monthly assistance to the interns: Monthly assistance of Rs. 5,000 will be paid to the interns for the entire duration of 12 months of the internship. Out of this, every month the company, based on the attendance and related company policies regarding good conduct, etc., will release Rs.500/- to each intern from the Company's CSR funds. Once the Company makes the payment, the Government will pay Rs.4,500 to the candidate through Direct Benefit Transfer to the Intern's Aadhaar seeded bank account. In case, any Company wishes to provide monthly assistance over and above Rs.500, it may do so from its own funds.

5.4.2 Grant for incidentals: A one-time grant for incidentals of ₹6,000 will be disbursed to each intern by the government through Direct Benefit Transfer, upon the Intern's joining at the internship location.

5.4.3 Training cost: Expenditures associated with the training of interns under the Scheme, would be borne by the company from its CSR funds, as per the extant rules.

5.4.4 Administrative costs: As covered under Companies (CSR Policy) Rules, 2014, up to 5% of the CSR expenditure incurred under this Scheme may be booked as administrative costs by the company.

5.4.5 Insurance coverage: Insurance coverage shall be provided to each individual intern under insurance schemes of the Government of India, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, for which premium amount shall be provided by Government. In addition, the company may also provide additional accidental insurance coverage to the interns.

5.5 Implementation Mechanism

5.5.1 The Scheme will be implemented through an online portal (www.pminternship.mca.gov.in) developed by the Ministry of Corporate Affairs. The Portal will serve as a centralized platform for end-to-end Scheme implementation and internship lifecycle management.

5.5.2 Process for posting internship opportunities: A dedicated dashboard will be provided to each Partner Company on the Portal, for posting internship opportunities. The Internship opportunities would contain details of the internships being offered, such as location of the Internship, nature of the Internship, minimum educational qualification required, any facilities provided by the company, etc.

5.5.3 Registration/Application Process for the candidates: Eligible candidates would have to register themselves on the Portal. Based on the information provided by the candidates, a resume will be generated by the Portal. A browsing facility will be made available to candidates.

for preferred sectors, functional roles, locations, and other criteria. Candidates may then apply for up to five (5) internship opportunities based on their preferences, including location (state, district), sector, functional role, and qualifications.

5.5.4 Shortlisting and Selection: A pool of candidates would be shortlisted for each internship opportunity through the Portal. The shortlisting process will be based on the candidates' preferences and the requirements posted by the companies. In the shortlisting process, emphasis will be given to ensure employment and ensure broader representation across the applicant base will be considered. The shortlisting criteria is aimed at promoting diversity and social inclusivity in the internship program. To ensure the above, the Portal will use tools to give representation to all such segments of the population, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes as well as Persons with Disabilities. Depending on the number of offers for each Internship, approximately twice / thrice as many names, along with the Resumes of the candidates, will be sent to the company for selection. Companies would be able to select candidates and make internship offers based on their respective selection criteria and processes. Once an offer is sent by the company to the candidate, the candidate will be able to convey acceptance through the Portal. A Detailed Implementation Mechanism for the Pilot Project is given in Annexure-I. This mechanism would be as prescribed by this Ministry.

5.5.5 It is clarified that an offer of Internship would not give rise to any contractual or legal relationship of employer-employee between the Ministry or the concerned company, and the selected intern. It is further clarified that such an offer of Internship can neither be construed to be in the nature of an offer or promise of future employment by the concerned company or Ministry, during or after the period of Internship.

5.5.6 Operational Guidelines: Detailed operational guidelines for the companies and the youth to participate in the Pilot Project through the Portal, will be provided on the Portal.

5.6 Recognition of Best Practices: The Ministry will establish a transparent process to recognize and award interns, companies based on their exceptional performance, innovation, and other criteria.

5.7 Grievance Redressal Mechanism: A grievance redressal mechanism to address the concerns and issues faced by stakeholders will be established to ensure timely resolution and enhance overall satisfaction of the users. The key features of the grievance redressal system are listed below:

- i) **Internship Portal:** All stakeholders including interns, companies, etc. will be able to submit their queries or grievances via the query redressal tools including chatbots linked to the Portal. These tools are envisaged to facilitate easy registration of the queries, real time tracking, and updates on the resolution status.
- ii) **Dedicated call Centre:** A multilingual call center will be established to address grievances/ queries received through the helpline.

6. Administrative and Monitoring framework

6.1 There shall be a Monitoring and Steering Committee (MSC) to oversee design, implementation, operations, and other aspects of the Scheme. The MSC will comprise of officers from MCA, other Ministries/ Departments and representatives from the industry. The MSC will be empowered to make recommendations including, but not limited to, any modifications in the guidelines, eligibility, selection criteria, communication and outreach strategy, monitoring, evaluation, etc. of the Pilot Project. The Ministry may also constitute any other committee(s) for effective Scheme implementation, review, and coordination.

6.2 A concurrent monitoring, evaluation and learning (MEL) framework shall be developed so that timely corrective actions may be taken. A dashboard indicating key performance indicators (KPIs), periodic data reports and performance scorecards shall be used to regularly monitor and evaluate the end-to-end implementation across all fronts. Independent evaluation as well as periodic assessment/ evaluation studies will be undertaken.

7. Communication, Awareness and Capacity Building: Communication, advocacy, and capacity-building initiatives will be undertaken to effectively promote the Scheme to raise awareness and highlight its benefits. FAQs, user manuals, instructional videos, and informational materials will be provided on the Portal to facilitate participation of candidates and industry.

8. Coordination with the State Governments: Coordination with the State Governments/ PRIs/ ULBs would be done as per requirements.

9. Learnings from the Pilot Project: Keeping in mind the volume and complex nature of the Scheme, Pilot Project is a pivotal phase that allows for testing concepts, strategies and systems before a full-scale implementation. Based on the feedback received and evaluation of outcomes during the implementation of the Pilot Project, lessons drawn shall be collated by the Ministry. The same will be factored in while rolling out the first phase of the FM Internship Scheme, as announced in the Budget 2024-25.

10. This issues with the approval of Hon'ble Minister of Corporate Affairs.

Anuradha Thakur
(Anuradha Thakur)
Additional Secretary

To,

1. Director General of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs
2. All Regional Directors and
3. All Registrar of Companies.

Copy to:

1. Finance Secretary and Secretary, Department of Public Enterprises
2. Secretary, Coordination, Cabinet Secretariat
3. Secretary, Department of Economic Affairs
4. Secretary, Department of Expenditure
5. Secretary, Department of Financial Services
6. Secretary, Ministry of Labour & Employment
7. Secretary, Department of Higher Education
8. Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
9. Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports
10. Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology
11. All the Chief Secretaries of the State Governments/ UTs with the request to nominate a nodal officer for the Scheme.
12. Shri Saurabh Shukla, Director, Prime Minister Office
13. PS to Hon'ble Minister of Corporate Affairs
14. PS to Hon'ble Minister of State of Corporate Affairs
15. PPS to Cabinet Secretary
16. Chief Controller of Accounts, M/o Corporate Affairs
17. Guard File

Annexure-I

Implementation Mechanism

Ministry of Corporate Affairs shall develop the Portal available at www.pminternship.mca.gov.in. The Portal will serve as a centralized platform for end-to-end Scheme implementation and internship lifecycle management.

A broad overview of the Portal and other implementation processes is given below:

- 2.1 **List of Partner Companies:** The list of Partner Companies shall be displayed on the Portal.
- 2.2 **Internship opportunities:** Internship opportunities may be posted by the Partner Companies on the Portal. The Internship opportunities would contain details of the internships being offered, such as location of the internship, roles/ functions of the internship, minimum educational qualification required, other special requirement, any facilities provided by the company etc.
- 2.3 **Candidate Registration and Profile Creation:** Candidates must first be registered on the Portal through Aadhaar authentication or eKYC. Information such as name, address, educational qualifications, certifications (if any), and other relevant details to be provided by the candidates as specified on the Portal. Proof of educational qualifications and certifications would have to be uploaded by the candidates. Additionally, candidates must submit a self-declaration on the Portal, affirming that all eligibility requirements specified in these guidelines are met and that none of the ineligibility criteria apply. Based on the submitted details, a Resume will be generated by the Portal for the candidate.
- 2.4 **Candidate Application:** After the Aadhaar authentication by the candidates, a browsing facility will be made available to candidates for browsing through Internship opportunities, based on their preferred sectors, functional roles, locations, and other criteria. Candidates may then apply for up to five (5) Internship opportunities based on their preferences, including location (state, district), sector, functional role, and qualifications.
- 2.5 **Shortlisting of Candidates:** A pool of candidates would be shortlisted for each internship opportunity by the Portal. Depending on the number of offers for each internship, approximately twice/twice as many applications would be shortlisted to be sent to the company. In the shortlisting process, criteria that prioritize lower employability and ensure broader representation across the applicant base will be considered. The shortlisting criteria is aimed at promoting diversity and social inclusivity in the internship program. To ensure the above, the Portal will use tools to give representation to all such segments of the population, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes as well as Persons with Disabilities.
- 2.6 This pool of shortlisted candidates would then be forwarded to each company for selection.

2.7 Selection of Candidates: From the shortlisted group, companies would be able to choose candidates based on their respective selection criteria and processes. Internship offers to the candidates to be sent by the Company through the Portal. Once an offer is sent by the company to the candidate, the candidate would be able to convey acceptance through the Portal. A candidate may receive up to two (2) internship offers in one cycle. A model format of the Offer Letter will be available on the Portal for the companies to use.

2.8 Internship Document Generation: Upon a candidate's acceptance of the offer, the Portal would automatically generate an Internship Document that clearly outlines the details of the internship, including the roles and responsibilities of both the intern and the company. A model format of the Internship Document will be available on the Portal.

2.9 Internship Joining: Once the candidate joins the internship, the company would confirm this on the Portal. This confirmation will initiate the release of ₹6,000 as a grant for incidentals, which will be disbursed to the candidate by the government through Direct Benefit Transfer.

2.10 Internship: Each month, the company will pay ₹500 and report this payment on the Portal. Following this confirmation, ₹4,500 will be released by the government, which would be disbursed to the candidate through Direct Benefit Transfer (DBT).

2.11 Completion & Certification: Upon successfully completing the internship, a Certificate of Completion would be issued by the Partner Company to the candidate. A model format of the Certificate will be available on the Portal. The Certificate shall be issued only by the participating Partner Companies.

3. Guidelines for the Companies

3.1 The company is expected to provide the person an actual working experience on a skill in which the company is directly involved. It shall be strictly ensured that at least half of the internship period would be in the actual work/ real-life business environment, not in classroom.

3.2 In case the company cannot directly provide internship opportunities, it may tie-up with:

- Companies in its forward and backward supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors) or
- Other companies/institutions in its group; or otherwise.

3.3 Companies are advised not to prescribe qualification higher than necessary for the internship.

3.4 Companies must not offer internships for unskilled roles such as cleaning, delivery, porter, security guard, office boy etc.

3.5 Companies are advised to ensure that the internship offered under PM Internship Scheme is separate from other skill / apprenticeship/ internship/ student training programme offered by them under any other Central Government or State Government scheme.

3.6. Supervisors or mentors must be assigned by the companies to each intern upon joining. Additionally, companies are encouraged to provide or enhance the soft and employability skills of each intern.

3.7 The participating Partner Companies are expected to steer the internship management programme and the different internship opportunities offered across their company and others in their forward and backwards supply chain (e.g. suppliers/ customers/ vendors) or other companies/ institutions in its group.

3.8. Companies shall follow their own mechanism for assessing the candidates on a periodic basis. Quarterly Assessment Report of the candidates would have to be uploaded by the company on the Portal.

3.9. In case an intern withdraws or drops out of the internship before completion, the company must communicate this information to the government via the Portal by marking the intern as a 'Dropout'. This will ensure that no further payments are disbursed to the candidate, by the government. The company's standard policies regarding attendance, code of conduct, and dropout shall be applied. Generally, an intern will be considered a dropout if they stop attending to their internship requirements suddenly and without notice to their Mentor/ supervisor and fail to respond and/or rejoin despite two attempts at communication over a reasonable period by the mentor or supervisor, or if they express an unwillingness to continue. Such candidates will not be permitted to rejoin, and no Internship Certificate will be issued to them. Furthermore, they will be disqualified from applying for any Internship for one year under this Scheme.

3.10 It is clarified that an offer of internship would not give rise to any contractual or legal relationship of employer-employee between the Ministry, or the concerned company, and the selected intern. It is further clarified that such an offer of internship can neither be construed to be in the nature of an offer or promise of future employment by the concerned company or Ministry, during or after the period of internship.

4. Guidelines for the Candidates

4.1 The rules and regulations of the establishment, including those related to timings, holidays, leaves, conduct, and discipline, shall be adhered to by the intern.

4.2 In case of a medical emergency, the demise of a family member, or such extenuating and emergency circumstances, a sabbatical of up to two months may be granted to the intern, in accordance with company policies and/or any directives issued by the Ministry from time-to-time. No financial assistance shall be provided during the sabbatical period; however, the intern shall be permitted to rejoin and complete the remaining duration of the overall 12-month

internship period. If the sabbatical period exceeds two months, the candidate will be required to discontinue and may reapply in the next internship offer cycle.

5. Recognition of performance: Interns will undergo continuous evaluation of their performance and conduct by the companies in accordance with the companies' policies. To build confidence and create aspirational value for the Scheme, companies are encouraged to recognize the outstanding interns, and this recognition may be displayed on the companies' websites and on this Portal.

वी०सी० दिनांक 11.11.2024 अपराह्न 03.30 बजे

प्रेषक,

धर्मपाल पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/प्रायिधिक शिक्षा विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग/ समाज कल्याण विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ०प्र० शासन।
- 3 - क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय (RDSDE), कानपुर नगर।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ दिनांक: 11 नवम्बर, 2024

विषय: भारत सरकार की 'प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप योजना' के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग बैठक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग के पत्र संख्या- आई/790997/2024-89-1099/465/2024 दिनांक 08.11.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि "प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप योजना" के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विचार विर्ति किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2024 को अपराह्न 03.30 बजे वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से एक बैठक आहूत की गयी है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उकानुसार आहूत वी०सी० में शासन स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर/संबंधित विश्वविद्यालय के भिज्ञ अधिकारियों को सुसंगत

सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। बैठक हेतु लिंक एवं पासवर्ड निम्नवत् है:-

Join Zoom Meeting
[https://us06web.zoom.us/j/83321466324?
pwd=HqdeVFVAbGG5VQNB9JAy9OIZkhWqL1.1](https://us06web.zoom.us/j/83321466324?pwd=HqdeVFVAbGG5VQNB9JAy9OIZkhWqL1.1)

Meeting ID: 833 2146 6324
Passcode: 491872

Signed by भवदीय,
Dharm Pal Pandey (धर्मपाल पाण्डेय)
Date: 11-11-2024 12:59:01 अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उप्र० शासन।
2. संयुक्त सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उप्र० शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(धर्मपाल पाण्डेय)
अनु सचिव।